न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिलकुमार, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 03/2018

रामकरण बनाम **शोभाराम आदि**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: आदेश :– **दिनांकः– 05.06.2018**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सार प्रार्थी के कब्जे, काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 1.7200 हैक्टेयर वाके ग्राम स्वामी की ढ़णी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है उक्त भूमि में प्रार्थी काबिज काश्तकार है समय समय पर फसल काश्त कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा हैं।

यह कि भूमि खसरा नम्बर 157 रकबा 1.7200 हैक्टेयर में ट्रेक्टर, उॅट, गाड़ी पशुधन आदि लाने ले जाने हेतु आवागमन का एक मात्र रास्ता गैर मुमकिन रास्ता की भूमि खसरा नम्बर 158 रकबा 0.11 हैक्टेयर में से होता हुआ खसरा नम्बर 157 रकबा 1.7200 में प्रवेश करता है जिससे होकर प्रार्थी उक्त भूमि पूर्वजों के समय से ही आवागमन करता चला आ रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आवागमन का अन्य कोई रास्ता नहीं है।

यह कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 157 रकबा 1.7200 हैक्टेयर में आने जाने ट्रेक्टर, उॅट, गाड़ी पशुधन आदि लाने ले जाने हेतु कम से कम 13 फीट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में ए, से बी, रास्ता मौके पर मौजूद है जो गैरमुमकिन रास्ता की भूमि खसरा नम्बर 158 रकबा 0.11 में होता हुआ खसरा नम्बर 157 रकबा 1.7200 हैक्टेयर में प्रवेश करता है जिसको संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए स्थान से बी स्थान तक प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि तक आने जाने का रास्ता मौके पर मौजूद है प्रार्थी द्वारा उपयोग के रास्ते को ए से बी मार्क से दर्शित किया गया है।

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 पड़ोसी काश्तकार है तथा प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 157 रकबा 1.7200 हैक्टेयर में आवागमन के लिये प्रचलित उक्त पुराने रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता के खसरा नम्बर 158 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 बंद करने पर आमादा है तथा एलानिया धमकी देते है कि आपका रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटा हुआ नहीं है इसलिये मै इस रास्ते से आपको नहीं जाने दूगा। तथा जबरन रास्ते को बंद करना चाहते है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 अपने इस कुउदेंश्य में सफल हो गये तो प्रार्थी अपने सुखाधिकार से वंचित हो जावेगे जिसकी क्षति पूर्ति बाद में कतई सम्भव नहीं होगी। तथा प्रार्थी का आवागमन पूर्वतया अवरुद्ध हो जायेगा। यह कि प्रार्थना प्रार्थना–पत्र निर्धारित न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 157 रकबा 1.7200 हैक्टेयर वाके ग्राम स्वामी की ढ़ाणी में आवागमन के लिये गैर मुमकिन रास्ता के खसरा नम्बर 157 में से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में ए बी स्थान से दर्शित 13 फुट चौड़े रास्ते का अकंन राजस्व रिकॉर्ड में किये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 21 को आदेश पारित करने की कृपा करें एवं रास्तें में जबरन किये जाने वाले अवरोध को नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को पाबंद करने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये एवं प्रकरण में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को रिपोर्ट हेतु लिखा गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण सं. 1 व 3 कि ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। शेष अप्रार्थीगण की तलबी शेष है। इसी दौरान पत्रावली आज राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प राजपुर में पेश हुई। तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के बाद प्रकरण में शेष अप्रार्थीगण की तलबी का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। उक्त रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। जिसमें अंकित किया है कि ''प्रार्थी/आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता खेत की सीमा से सटा हुआ है। अतः उसका कोई रकबा नहीं बनता, जो बदले में दिया जा सके व न ही उसकी कोई कीमत बनती है। जिससे यह प्रकरण आरटीए धारा 251(ए) का प्रतीत नहीं हो रहा है।'' साथ ही केम्प स्थल पर राज पेराकार एवं पटवार हल्का से विवादित खसरान से संबंधित संपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी खसरा गिरदावरी रिकॉर्ड मय नक्शा वास्ते अवलोकन हेतु तलब किया गया। कैम्प स्थल पर ही मज्में–आम से उक्त विवादित रास्ते के बारे में पूछताछ की गई। प्रस्तुत रिकॉर्ड व नक्शों के अवलोकन से जाहिर है कि वर्तमान में मौके पर प्रार्थी की रास्ता की मांग धारा 251(ए) आरटीए के अनुसार नहीं होने से अनुतोष दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जिसकी ताईद तलब राजस्व रिकॉर्ड, प्रस्तुत तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट एवं संबंधित दस्तावेजों से होती है। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता की मांग का पक्ष सबल नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारहीन होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र औचित्यपूर्ण नहीं पाया जाता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को कैम्प कोर्ट राजपुर में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– राजपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official